


538

534



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : c6086b5cd502d7224058

Receipt Date : 02-Jun-2023 08:23:52 am

Receipt Amount : 28000/-

Amount In Words : Twenty Eight Thousands Rupees Only

Token Number : 202300071941

Office Name : SRO - Simdega

Document Type : Sale Deed

Payee Name : MNUEL MINJ (Vendee)

GRN Number : 2317512799



-: For Office Use :-



इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

(2) लेख्यधारी:- श्री मनुएल मिंज उम्र 29 वर्ष, पिता स्व0 तेलेस्फोर मिंज, दादा स्व0 स्तानिस मिंज, श्रेणी- अनुसूचित जनजाति (सी.एन.टी.एक्ट 1908 के अन्तर्गत आक्षादित हैं), पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- पिथरा महकुरटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक ।

मो0 नं0 8210346981 आधार संख्या XXXX XXXX 4477

पैन नं0 एफ.वाई.एच.पी.एम. 6950 एच.

..... केंतिका ।

शपथ-पत्र संख्या:- 380/2023

(3) लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

(4) मूल्य:- मोबलिग सात लाख रुपये अंके 7,00,000 /- रुपये होता है ।

(5) सम्पति:- संरचना रहित आवासीय जमीन अन्दर मौजा- खिजरी सामटोली, वार्ड नं0 6, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 105, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 96 (छेयानबे) प्लॉट नं0 2239 (बाईस सौ उनचालिस) अंश रकबा 0.34 एकड़ में से 0.10 एकड़ (दस डिसमिल) आवासीय जमीन जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है । जमीन का माप- उत्तरी भुजा- 64.6 फीट, दक्षिणी भुजा- 60.6 फीट, पूरबी भुजा- 64 फीट, पश्चिमी भुजा- 76 फीट है ।

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
खिजरी	सिमडेगा	105	96	2239	0.10 एकड़

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट में छोड़ा गया 8 फीट का कच्चा रास्ता,

दक्षिण:- भिखु मलवा का दोन,

पूरब :- सुनील खेस्स का दोन,

पश्चिम:- इसी प्लॉट का अंश ।

निर्मला खेस्स
30-05-2023

मिंज लखीरत मिंज
स्व0 स्तानिस मिंज
पेशा खेतीबारी
निवास सिमडेगा

मालगुजारी 1.00 रुपया (एक रुपया) अलावे सेस सलाना ।

मैं घोषणा करती हूँ कि उक्त वर्णित जमीन को पूर्व में बिकी, लीज, बंधक, एकरारनामा, दान नहीं किया हूँ ।

(1) चूँकि मुझ लेख्यकारिणी को मकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रुपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रुपये देना स्वीकार किया ।

(2) इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

(3) मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि वर्णित बिक्रीत जमीन मेरे खास नाम से खरीदगी जमीन है । उपरोक्त जमीन को मैं थोमस खेस पिता स्व0 इग्नेस खेस से केवाला पट्टा संख्या 737 दिनांक 25.11.2022, बुक संख्या 1, भोल्युम संख्या 108 पृष्ठ संख्या 73 से 114 के द्वारा खरीदी हूँ । खरीदगी के पश्चात उक्त बिक्रीत जमीन का मेरे खास नाम से दाखिल खारिज वाद संख्या 598 आर 27/2022-2023 के द्वारा मेरे नाम से श्रीमान् अंचल अधिकारी सिमडेगा के कार्यालय से दाखिल खारिज होकर खास नाम से मालगुजारी रसीद निर्गत होता है जो पंजी 11 के भोल्युम संख्या 18 पेज संख्या 34 में दर्ज है । खरीदगी के पश्चात उपरोक्त वर्णित बिक्रीत जमीन पर मेरा निर्विवाद रूप से हक दखल वो कब्जा है तथा किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या वारदेन नहीं है । खतियान के अनुसार उक्त जमीन कायमी है तथा खतियानी रैयत का नाम छोटका बंडा उरॉव वगैरह दर्ज है ।

निर्मला खेस
30-05-2023

(4) चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं । अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 624 / 2022-23 है, जिसकी स्वीकृति दिनांक 23.05.2023 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 214 (11) दिनांक 23.05.2023 है ।

(5) अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।


(6) इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भु-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ, वन भुमि या किसी भी प्रतिबंधित सूची के तहत नहीं है ।

सिमा सुधार
30-05-2023

मैं लेख्यकारिणी यह घोषणा करती हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

निर्दिष्ट खरस 30-05-2023.



कनिष्ठ अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुठा


~~प्रमाणित किया जाता है कि निर्दिष्ट खरस का कार्य हाथ का पाँचा अंगुठियों का बाप में समझ किया गया है।~~

शंकर महतो
अधिवक्ता
30-05-2023.

निर्दिष्ट खरस
30-05-2023

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व मे धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है,


मनुरल मिंज
30-05-2023.




कनिष्ठ अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुठा

~~प्रमाणित किया जाता है कि मनुरल मिंज का कार्य हाथ का पाँचा अंगुठियों का बाप में समझ किया गया है।~~


शंकर महतो
अधिवक्ता



पहचानकर्ता का सही कार्टी ~~कान्ती केवदार~~ 30-05-2023



कनिष्ठ अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुठा



समाहित किया जाता है कि कान्ती केवदार का दायाँ हाथ का पाँचवाँ अंगुठियाँ का दाएँ पैरों समक्ष किया गया है।

शंकर महतो
अधिवक्ता
30-05-2023.

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही / - शंकर महतो
अधिवक्ता
प्रारूपकर्ता 30-05-2023.

मिर्जा इवरेन

प्रमाणित किया जाता है कि यह विक्रय पत्र दस्तावेज कुल सात पन्नों का है जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक

मो० मकसुद

30.05.2023

मो० मकसुद,

कचहरी परिसर, सिमडेगा ।

संलग्नक :-

1. केवाला पट्टा का छायाप्रति,
2. शुद्धि पत्र का छायाप्रति,
3. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
4. खतियान का छायाप्रति,
5. बिक्रेता के पैन कार्ड का छायाप्रति,
6. क्रेता के पैन कार्ड का छायाप्रति,
7. शेड्यूल का मूल प्रति,
8. आदेश एवं अंचल रिपोर्ट का सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि,
9. होल्डिंग टैक्स रसीद का छायाप्रति,
10. ट्रेस नक्सा का मूल प्रति,
11. सर्वे नक्सा का छायाप्रति ।

प्रमाणित किया जाता है कि क्रेता, विक्रेता एवं पहचान की स्व अभिप्रमाणित फोटोयुक्त छायाप्रति दस्तावेज के साथ संलग्न किया है या विवरणी दिया है तो पूर्ण रुप से सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं झूठ बोल बालसाजी पाए जाने पर मैं स्वयं इसका जिम्मेदार रहूँगा।

निर्मला शर्मा

15-06-2023

निर्मला शर्मा
30-05-2023